



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित किया।

## 'आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों के प्रकरणों में सख्त कार्रवाई हो'

### तीन आपराधिक कानूनों के संबंध में उच्चस्तरीय बैठक में मु.मंत्री ने कहा

जयपुर, 24 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को सुदूर करने तथा नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षा एवं तकनीकी क्षमता देना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसके क्रम में राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं। साथ ही, गृह विभाग को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य बजट 2025-26 में कई

■ प्रधानी निगरानी के लिए गिरफतार व्यक्ति के किंगरिंस्टस लिए जाएं - मुख्यमंत्री

करने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में संबंद्धनीय रखते हुए शीशी निर्णय लिया जाए।

शर्मा ने गृह विभाग में रिक्त पदों को शीशी भ्रमने एवं प्रतिवेत करने के निर्देश दिए, ताकि पर्याप्त मानव संसाधन के नियोजन से प्रोत्साहक होकर क्षेत्र में अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगे। उन्होंने कहा कि गृह विभाग आगामी वर्षों में रिक्त होने वाले पदों की भी पूर्ण उपलब्धता देने के लिए, ताकि कार्मिक कैरियर के सेवानिवृत्त होते ही तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके।

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को शायामी के गत दिनों के क्रीड़ीय गृह मंत्री अमित शाह एवं क्रीड़ीय गृह सचिव द्वारा ली गई बैठकों के लिए एवं नियोजनों के लिए एवं इस्तमान के अनुसार नए कानूनों के क्रियान्वयन की तात्परी करने के लिए दिशा दिए, ताकि अपराधियों पर सतर निगरानी के साथ प्रभावी नियन्त्रण भी रहे। उन्होंने कहा कि नवीन कानूनों में पहली बार के अपराधी की एक हाईइंसे सजा पूर्ण होने पर रिहा

अधिकारी भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। नए कानूनों के तहत प्रदेश में अब तक 1 लाख 12 हजार से अधिक एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें से 75 हजार से अधिक को नियोजन भी किया जा चुका है। इस दौरान विश्वासी नियोजन (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग, द्वारा द्वितीय

श्रेणी विश्वासी की दूसरी जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 के पेपरलीक से जुड़े आठ अभियुक्तों की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

एस.ओ.जी. की ए.डी.जी., वी.सी. विश्वासी में से अनिता, अभियुक्त गमाराम खिलेरी पटवारी के पद पर नियोजित थी।

एस.ओ.जी. की रिपोर्ट के अनुसार, भूमेद्ध सारण के माध्यम से उपलब्ध करवाये करकरूलन राजपुर से अभियुक्त रवि कुमार ने अभियुक्त भूमेद्ध सारण की मदद से जयपुर के एक पुरु भगवानराम विश्वासी की जमानत होटल में अभियुक्तों को लोक परेय उपलब्ध करवाये थे। अभियुक्त गमाराम खिलेरी पटवारी के पद पर नियोजित थी।

एस.ओ.जी. की रिपोर्ट के अनुसार, भूमेद्ध सारण के माध्यम से अभ्यर्थी सुवीकृतों को एक बस में पेपर कर उपलब्ध करवाये थे। गमाराम खिलेरी पटवारी के पद पर नियोजित थी।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्वारा द्वितीय श्रेणी विश्वासी (माध्यमिक विकास) परीक्षा 2022 आयोजित की गई थी। परंतु गृहलोत सरकार के कार्यकाल के द्वारा न आयोजित अन्य परीक्षाओं की तहत इस परियोजना में भी प्रेपरलीक हो गया था।

इस प्रकारण से जुड़े 8 व्यक्ति, पुखराज, राजीव कुमार, गमाराम खिलेरी, रामगोपाल मीणा, अनिता कुमारी मीणा, गोपाल सिंह, विजयराज वर्मा तथा राजीव विश्वासी की जमानत याचिका खारिज हुई।

गृहलोत सरकार के कार्यकाल में अजमेर स्थित लोकसेवा आयोग द्व